विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),

कानपुर मण्डल, कानपुर।

परिवाद संख्या - 06/2022

आदित्य कुमार बाजपेई बालिग पुत्र शिव कुमार बाजपेई
निवासी चौबेयाना मोहाल, पूरा, उत्तरी,
कानपुर नगर-209210 ।

------- परिवादी

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चौबेपुर, कानपुर देहात।

-------विपक्षी

अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)
(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

परिवादी आदित्य कुमार बाजपेई बालिग पुत्र शिव कुमार बाजपेई निवासी चौबेयाना मोहाल, पूरा, उत्तरी, कानपुर नगर के अधिकृत अधिवक्ता श्री दिनकर प्रताप पाण्डेय द्वारा परिवाद इस आशय से दाखिल किया गया है कि विपक्षी से 5 किलोवाट भार का विद्युत कनेक्शन उसके भवन स्थित जी.टी. रोड उत्तरी चौबेपुर कानपुर में प्रदान करने एवं विपक्षी के द्वारा परिवादी को पी. डी. बिल विद्युत कनेक्शन खाता सं. 781719758091 प्रदान करने का आदेश किया जावे।

परिवादी के अधिकृत अधिवक्ता द्वारा परिवाद (का.सं. 1/1 ता 1/3 एवं संलग्नक का.सं. 1/4 ता 1/13) दाखिल कर धारा 1 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के द्वारा पूर्व में एक विद्युत कनेक्शन घरेलू विद्युत उपभोग हेतु 2 किलोवाट भार का प्राप्त किया था। जिस पर विद्युत कनेक्शन धनराशि का भुगतान न हो पाने के कारण दिनांक 19.02.2021 को उसका विद्युत मीटर संख्या 1223713 उखाड़ कर पी.डी. करने हेतु विभाग ले जाया गया। इस संदर्भ में सीलिंग सार्टिफिकेट की फोटो प्रतिलिपि, उप खण्ड अधिकारी के द्वारा स्थाई विच्छेदन कि रिर्पोट तथा परिवादी के द्वारा पी.डी. के उपरान्त जारी बिल रू. 4,291/- को दिनांक 05.03.2021 को जमा करने के प्रलेख की फोटो प्रतिलिपियां इस परिवाद पत्र का क्रमशः 1, 2 व 3 है। धारा 2 में यह अभिलिखित किया गया है कि उपरोक्त कनेक्शन के स्थायी रूप से विच्छेदित हो जाने के उपरान्त परिवादी के द्वारा अपने व्यवसायिक उपयोग हेतु 5 किलोवाट का विद्युत भार का कनेक्शन की मांग दिनांक 25.03.2021 के प्रार्थना पत्र से की। जिसकी फोटो प्रतिलिपि परिवाद पत्र का संलग्नक 4 है।

आगे जारी है।

धारा 3 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के द्वारा विद्युत कनेक्शन के आवेदन पर विपक्षी के द्वारा आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया। धारा 4 में यह अभिलिखित किया गया है कि कनेक्शन न देने का आधार परिसर पर बकाया धनराशि होना बताया। किन्तु उक्त के संदर्भ में कोई भी प्रलेख परिवादी को प्रदान नहीं किया गया। जबकि परिवादी के द्वारा पूर्व कनेक्शन की समस्त बकाया धनराशि को जमा कर दिया गया। धारा 5 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी को विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तथा विपक्षी परिवादी को विद्युत कनेक्शन को विद्युत अधिनियम 2003 धारा 43 विद्युत अधिनियम 2003 के तहत कनेक्शन देने के लिये बाध्य है। धारा 6 में यह अभिलिखित किया गया है कि विपक्षी के द्वारा परिवादी को विद्युत कनेक्शन प्रदान न किया जाना सेवा में कमी के तहत आता है।

विपक्षी ने जवाबदावा (का.सं. 3/1 ता 3/6) दाखिल किया है। धारा 1 से 3 एवं 5 से 9 तक के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। धारा 4 के सम्बनध में मा. न्यायालय के निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराना है कि:-

(क) वादी के परिसर (न्यू बाजपेई ढाबा) पर घरेलू विद्या में विद्युत संयोजन संख्या 781719758091 संचालित किया था। जिस पर लगभग रू. 1,50,000/- का बकाया होने एवं गलत विद्या में विद्युत का उपभोग होने के कारण संयोजन पर स्थापित मीटर एवं केबिल के फोर्स पी.डी. (स्थाई विच्छेदन) की कार्यवाही की गई। जिस पर उपभोक्ता के द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया था।

(ख) यह कि वादी के द्वारा उक्त परिसर पर संयोजन के स्थाई विच्छेदित होने के उपरान्त भी अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपभोग किया जा रहा था। जिस पर विजिलेंस के द्वारा दिनांक 04.03.2021 को सायं 18.55 पर उक्त संयोजन को अनाधिकृत रूप से प्रयोग किये जाने के कारण धारा 135(1)ए के अंर्तगत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया गया (छायाप्रति संलग्न)।

(ग) यह कि वादी के द्वारा उक्त परिसर (न्यू बाजपेई ढाबा) पर अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपभोग किये जाने के कारण विद्युत प्रदाय संहिता में निहित प्रावधानों के तहत राजस्व का निर्धारण किया गया था। जिससे उपभोक्ता भली-भांति भिज्ञ है एवं उपभोक्ता के द्वारा अभी तक शमन शुल्क एवं राजस्व निर्धारण की धनराशि भुगतान नहीं किया गया है।

अतः वादी के परिसर पर विद्युत चोरी की स्थिति में बकाया होने के कारण वादी को अन्य संयोजन निर्गत किया जाना सम्भव नहीं है। जिसके सम्बन्ध में वादी पूर्व में ही इस कार्यालय के पत्रांक 1829 दिनांक 24.03.2021 के द्वारा पूर्ण रूप से अवगत है एवं बकाये से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों की एक प्रति स्वयं प्राप्त कर चुका है। (छाया प्रतिसंलग्न 05 पृष्ठ) अतः वादी का यह कहना कि वह बकाये के संम्बन्ध में अनभिज्ञ है, जो कि मा. न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से दिया गया कथन है।

आगे जारी है।

निष्कर्ष

परिवादी के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता श्री दिनकर प्रताप पाण्डेय को तथा विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चौबेपुर, कानपुर देहात के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम त्रिपाठी के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

परिवादी के द्वारा पूर्व में एक विद्युत कनेक्शन घरेलू विद्युत उपभोग हेतु 2 किलोवाट भार का प्राप्त किया था। जिस पर विद्युत कनेक्शन धनराशि का भुगतान न हो पाने के कारण दिनांक 19.02.2021 को उसका विद्युत मीटर संख्या 1223713 उखाड़ कर पी.डी. करने हेतु विभाग ले जाया गया। इस संदर्भ में सीलिंग सार्टिफिकेट की फोटो प्रतिलिपि, उप खण्ड अधिकारी के द्वारा स्थाई विच्छेदन कि रिर्पोट तथा परिवादी के द्वारा पी.डी. के उपरान्त जारी बिल रू. 4,291/- को दिनांक 05.03.2021 को जमा करने के प्रलेख की फोटो प्रतिलिपियां इस परिवाद पत्र का क्रमशः 1, 2 व 3 है। उपरोक्त कनेक्शन के स्थायी रूप से विच्छेदित हो जाने के उपरान्त परिवादी के द्वारा अपने व्यवसायिक उपयोग हेतु 5 किलोवाट का विद्युत भार का कनेक्शन की मांग दिनांक 25.03.2021 के प्रार्थना पत्र से की। जिसकी फोटो प्रतिलिपि परिवाद पत्र का संलग्नक 4 है। परिवादी के द्वारा विद्युत कनेक्शन के आवेदन पर विपक्षी के द्वारा आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया। कनेक्शन न देने का आधार परिसर पर बकाया धनराशि होना बताया। किन्तु उक्त के संदर्भ में कोई भी प्रलेख परिवादी को प्रदान नहीं किया गया। जबकि परिवादी के द्वारा पूर्व कनेक्शन की समस्त बकाया धनराशि को जमा कर दिया गया।

विपक्षी ने जवाबदावा (का.सं. 3/1 ता 3/6) दाखिल किया है। मा. न्यायालय के निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराना है कि:-

(क) वादी के परिसर (न्यू बाजपेई ढाबा) पर घरेलू विद्या में विद्युत संयोजन संख्या 781719758091 संचालित किया था। जिस पर लगभग रू. 1,50,000/- का बकाया होने एवं गलत विद्या में विद्युत का उपभोग होने के कारण संयोजन पर स्थापित मीटर एवं केबिल के फोर्स पी.डी. (स्थाई विच्छेदन) की कार्यवाही की गई। जिस पर उपभोक्ता के द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया था।

(ख) यह कि वादी के द्वारा उक्त परिसर पर संयोजन के स्थाई विच्छेदित होने के उपरान्त भी अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपभोग किया जा रहा था। जिस पर विजिलेंस के द्वारा दिनांक 04.03.2021 को सायं 18.55 पर उक्त संयोजन को अनाधिकृत रूप से प्रयोग किये जाने के कारण धारा 135(1)ए के अंर्तगत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया गया (छायाप्रति संलग्न)।

आगे जारी है।

(ग) यह कि वादी के द्वारा उक्त परिसर (न्यू बाजपेई ढाबा) पर अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपभोग किये जाने के कारण विद्युत प्रदाय संहिता में निहित प्रावधानों के तहत राजस्व का निर्धारण किया गया था। जिससे उपभोक्ता भली-भांति भिज्ञ है एवं उपभोक्ता के द्वारा अभी तक शमन शुल्क एवं राजस्व निर्धारण की धनराशि भुगतान नहीं किया गया है।

अतः वादी के परिसर पर विद्युत चोरी की स्थिति में बकाया होने के कारण वादी को अन्य संयोजन निर्गत किया जाना सम्भव नहीं है। जिसके सम्बन्ध में वादी पूर्व में ही इस कार्यालय के पत्रांक 1829 दिनांक 24.03.2021 के द्वारा पूर्ण रूप से अवगत है एवं बकाये से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों की एक प्रति स्वयं प्राप्त कर चुका है।

परिवादी की ओर से (का. सं. 6) दिनांक 26.09.2022 को दाखिल किया गया है और लिखा गया है कि अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, चौबेपुर, कानपुर नगर के द्वारा में उक्त परिवाद की व्यथा का निवारण कर दिया गया है।

उपरोक्त परिस्थितियो में परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद व्याथा निवारण हो जाने के कारण निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी आदित्य कुमार बाजपेई बालिग पुत्र शिव कुमार बाजपेई निवासी चौबेयाना मोहाल, पूरा, उत्तरी, कानपुर नगर का परिवाद की व्यथा का निवारण कर दिया गया है अतः परिवाद निस्तारित किया जाता है। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु0

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 14 /10/2022

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु0

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 14/10/2022

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.)
(iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति